

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

भेरू पिता रामसुख तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

- 1- भूरा पिता किसना तेली निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0 एवं 188 आर0टी0ए0

मुकदमा नम्बर 74/2016 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी
जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख
व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 27 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा